न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:– अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 155/2025

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2025/258

प्रार्थीगण **बनाम** **विप्रार्थीगण**

प्रार्थीगण

1.टीकमाराम पुत्र कालूराम

2.अणछी पत्नी राजुराम

3.कंवराराम पुत्र राजुराम

4.कोलाराम पुत्र राजुराम

5.खीमाराम पुत्र राजुराम

6.पुखराज पुत्र राजुराम

7.मृतक अर्जुनराम पुत्र कालूराम के वारिसान

7/1. हवीयादेवी पत्नी अर्जुनराम

7/2.पिकीं पुत्री अर्जुनराम

7/3.लक्ष्मण पुत्र अर्जुनराम

7/4.सीता पुत्री अर्जुनराम

7/5.धापु पुत्री अर्जुनराम

7/6.महेन्द्र पुत्र अर्जुनराम नाबालिग जरिए कुदरती वली माता हवीयादेवी पत्नि अर्जुनराम

7/7.ललित पुत्र अर्जुनराम नाबालिग जरीए कुदरती वली माता हवीयादेवी पत्नी अर्जुनराम

8.पेमाराम पुत्र राजूराम जातियान नाई निवासी–लोमड़ी वेरा वार्ड. संख्या 32 बालोतरा,तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा

विप्रार्थीगण

1.बाबूसिंह पुत्र नारायणसिंह जाति पुरोहित

2.अफसानाबानो पत्नी अकील अहमद जाति मुसलमान

3.असगरअली पुत्र अजीजअहमद जाति मुसलमान

4.अर्जुनसिंह पुत्र सुजानसिंह जाति पुरोहित

5.कानसिंह पुत्र आईदान जाति पुरोहित

6.घेवरसिंह पुत्र आईदान जाति पुरोहित

7.धुडा देवी पुत्री आईदान जाति पुरोहित

8.बीबा देवी पुत्री आईदान जाति पुरोहित

9.गटिया देवी पुत्री आईदान

10.राधा देवी पत्नि आईदान

11.जबरसिंह पुत्र सुजान सिंह

12.दिनेश सिंह पुत्र सुजान सिंह

13.पारसमल पुत्र सुजान सिंह

14.गिरधारी पुत्र सवाराम जाति पुरोहित

15.मृतक मांगीलाल पुत्र सवाराम के कायम मुकाम

15/1.गुमानसिंह पुत्र मांगीलाल

15/2.रिड़मलसिंह पुत्र मांगीलाल

16.शिवदान पुत्र चुनाराम जाति पुरोहित

17.रूगनाथ उर्फ शिवानाथ पुत्र चूना

18.जबरसिंह पुत्र जसराज जाति पुरोहित

19.देवीसिंह पुत्र जसराज जाति पुरोहित

20.महेन्द्रसिंह पुत्र सांवलराम

21.मालसिंह पुत्र सांवलराम जाति पुरोहित

22.गोविन्दसिंह पुत्र लिखमाराम

23.आनन्दसिंह पुत्र भंवराराम

24.जोगसिंह पुत्र भंवराराम जाति पुरोहित

25.मोहनसिंह पुत्र भंवराराम जाति पुरोहित

26.आम्बसिंह पुत्र भैराराम उर्फ भैरूसिंह जाति पुरोहित

27.गंगा देवी पत्नी भैराराम उर्फ भैरूसिंह जाति पुरोहित

28.केहरसिंह पुत्र पुरखाराम,जाति पुरोहित

29.देवीसिंह पुत्र पुरखाराम जाति पुराहित

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

30.कानसिंह पुत्र नारायणसिंह
31.मालसिंह पुत्र नारायणसिंह
32.हड़मानसिंह पुत्र नारायणसिंह
33.मोहनीदेवी पत्नी नारायणसिंह
34.जबरसिंह पुत्र जसाराम जाति पुरोहित
35.देवीसिंह पुत्र जसाराम जाति पुरोहित
36.पदमा पुत्र जसाराम जाति पुरोहित
37.लूम्बा पुत्र जसाराम जाति पुरोहित
38.कमलेश सिंह पुत्र विजयसिंह
39.रेखा पुत्री विजयसिंह जाति पुरोहित
40.शान्ति देवी पत्नी विजयसिंह
41.कुसुम पुत्री विजयसिंह नाबालिग
42.नरेश सिंह पुत्र विजयसिंह नाबालिग विप्रार्थी संख्या 41 व 42 नाबालिग जरिए कुदरती वली माता शान्तिदेवी पत्नी विजयसिंह जाति पुरोहित
43.बाबूसिंह पुत्र अमरसिंह जाति पुरोहित
44.भीखसिंह पुत्र अमरसिंह जाति पुरोहित
45.भीमसिंह पुत्र अमरसिंह जाति पुरोहित
46.शेषदान पुत्र पूनमाराम जाति पुरोहित
47.सुजानसिंह पुत्र राजाराम उर्फ राणाराम जाति पुरोहित
48.सांवलराम पुत्र सवाराम जाति पुरोहित
49.पदमाराम पुत्र जवारजी जाति पुरोहित
50..पूंजाराम पुत्र वगताजी जाति पुरोहित
51.बसन्तलाल पुत्र वगताजी
52.सायरोदेवी पत्नी केरसिंहपुरोहित
53.कल्याणसिंह पुत्र केरजी उर्फ केरसिंह जाति पुरोहित
54.छगनलाल पुत्र केरजी उर्फ केरसिंह जाति पुरोहित
55.ओमप्रकाश पुत्र सावंलसिंह
56.कन्हैयालाल पुत्र सावंलसिंह
57.पीरसिंह पुत्र सांवलसिंह जाति पुरोहित
58.बाबुसिंह पुत्र सांवलसिंह जाति पुरोहित
59.मथरादेवी पत्नी सावंलसिंह
60.सीता पुत्री केरसिंह जाति पुरोहित
61.कुम्भाराम पुत्र छोगाजी जाति पुरोहित
62.भैरजी पुत्र मिसराजी जाति पुरोहित
63.चौथाराम पुत्र गुमनाराम जाति माली
64.हंजारीमल पुत्र गुमनाराम जाति माली
65.कमलादेवी पत्नी उदाराम जाति माली
66.सुशीला पुत्री उदाराम जाति माली
67.माणकचंद पुत्र उदाराम जाति माली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

68.गोविन्द पुत्र उदाराम जाति माली
69.सुरेश पुत्र उदाराम जाति माली
70.महेन्द्र पुत्र उदाराम जाति माली
71.गौतम पुत्र उदाराम जाति माली
72.सांवलराम पुत्र गुमनाराम जाति माली
निवासी बालोतरा
तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा
73.राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार पचपदरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–

1.श्री छत्रकरण भाटी अधिवक्ता प्रार्थीगण

2.श्री रामसिंह राजपुरोहित अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 1,4 से 15 व 17,21,23 से 25,28,30 से 35 व 64

3.श्री उमरदीन मेहर अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 2 व 3

4.श्री भूपेन्द्र गहलोत अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 72

5.शेष विप्रार्थी एकपक्षीय

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

आदेश

दिनांक 28/01/2026

1.संक्षिप्त में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम बालोतरा नपाक्षै तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 1192 क्षेत्रफल 3.0225 हैक्टेयर,खसरा संख्या 1197 क्षेत्रफल 2.7063 हैक्टेयर,खसरा संख्या 1198 क्षेत्रफल 0.3162 हैक्टेयर,खसरा संख्या 1199 क्षेत्रफल 0.0126 हैक्टेयर व खसरा संख्या 1200 क्षेत्रफल 0.2276 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा ग्राम बालोतरा नपाक्षै तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 1192 क्षेत्रफल 3.0225 हैक्टेयर,खसरा संख्या 1197 क्षेत्रफल 2.7063 हैक्टेयर,खसरा संख्या 1198 क्षेत्रफल 0.3162 हैक्टेयर,खसरा संख्या 1199 क्षेत्रफल 0.0126 हैक्टेयर व खसरा संख्या 1200 क्षेत्रफल 0.2276 हैक्टेयर भूमि की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया है।

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

2.प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिए रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। अधिवक्ता श्री रामसिंह राजपुरोहित अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 1,4 से 15 व 17,21,23 से 25,28,30 से 35 व 64 की ओर से वकालतनामा पेश कर प्रार्थीगण का आवेदन पत्र स्वीकार करने का निवेदन करते हुए इकबाली जवाब पेश किया किया गया। श्री उमरदीन मेहर अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से वकालतनामा पेश किया गया तथा श्री भूपेन्द्र गहलोत अधिवक्ता द्वारा विप्रार्थी संख्या 72 की ओर से वकालतनामा पेश किया गया। उक्त विप्रार्थी अधिवक्ता को जवाब पेश किए जाने के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी जवाब पेश नही किए जाने पर जवाब बन्द किया गया। शेष विप्रार्थी को सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण विप्रार्थी के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.हमनें उभय पक्षकारान अधिवक्ताओ की बहस सुनी। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम बालोतरा नपाक्षै तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 1192 क्षेत्रफल 3.0225 हैक्टेयर,खसरा संख्या 1197 क्षेत्रफल 2.7063 हैक्टेयर,खसरा संख्या 1198 क्षेत्रफल 0.3162 हैक्टेयर,खसरा संख्या 1199 क्षेत्रफल 0.0126 हैक्टेयर व खसरा संख्या 1200 क्षेत्रफल 0.2276 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थी की भूमि आई हुई है,वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है तथा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। विप्रार्थी झगड़ालू प्रवृति का होने के कारण आये दिन प्रार्थीगण को उसकी खातेदारी भूमि की सीमाओं को लेकर विवाद करता रहते है। प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थी को मना करने के उपरांत भी विप्रार्थी प्रार्थी की खातेदारी भूमि में दखलदान्जी करने में बाज नहीं आ रहे है। अंत में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम बालोतरा नपाक्षै तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 1192 क्षेत्रफल 3.0225 हैक्टेयर,खसरा संख्या 1197 क्षेत्रफल 2.7063 हैक्टेयर,खसरा संख्या 1198 क्षेत्रफल 0.3162 हैक्टेयर,खसरा संख्या 1199 क्षेत्रफल 0.0126 हैक्टेयर व खसरा संख्या 1200 क्षेत्रफल 0.2276 हैक्टेयर भूमि की नेखमबन्दी के आदेश फरमावे जावे।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

4.विप्रार्थी संख्या 1,4 से 15 व 17,21,23 से 25,28,30 से 35 व 64 की ओर से अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाता है,तो विप्रार्थी को आपति नही है।

5.विप्रार्थी अधिवक्ता संख्या 2,3 व 72 ने दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थीगण की ओर से मनगढन्त तथ्यो के आधार पर आवेदन पत्र पेश किया गया है,जो चलने योग्य नही है। क्योकि विप्रार्थी की ओर से प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि मे दंखलदान्जी नही की गई है। जबकि प्रार्थीगण आए दिन सीमाओ को लेकर विप्रार्थी पक्ष से विवाद करतर रहता है। प्रार्थीगण द्वारा गलत तथ्यो के आधार पर आवेदन पेश किए जाने के कारण प्रार्थीगण का आवेदन खारिज किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

6.हमने उभयपक्ष अधिवक्ताओ की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि ग्राम बालोतरा नपाक्षै तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 1192 क्षेत्रफल 3.0225 हैक्टेयर,खसरा संख्या 1197 क्षेत्रफल 2.7063 हैक्टेयर,खसरा संख्या 1198 क्षेत्रफल 0.3162 हैक्टेयर,खसरा संख्या 1199 क्षेत्रफल 0.0126 हैक्टेयर व खसरा संख्या 1200 क्षेत्रफल 0.2276 हैक्टयर भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी संवत 2079–2082 का अवलोकन करने से स्पष्ट है। इस प्रकार प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्डड खातेदार है,और रिकार्डड खातेदार होने के कारण विवादित भूमि की सीमाओ को लेकर सेढा पड़ौसीयो मे सीमा विवाद होना बताकर विवादित भूमि की नेखमबंदी करवाने हेतु आवेदन पत्र पेश किया गया है। हस्तगत प्रकरण के निस्तारण के लिए हम यहां धारा 128 आर.एल.आर. का उल्लेख करना उचित समझते है,जिसके अनुसार :–**धारा 128 सीमा विवाद**–सम्बन्धी समस्त विवाद भू–अभिलेख अधिकारी द्वारा धारा 111 में निर्धारित रीति से तय किए जायेगें:

1.(परन्तु खेतो के सीमाओं सम्बन्धी आवेदन–पत्र,जहां यधपि ऐसी सीमा के विषय मे कोई विवाद विधमान नहीं हो किन्तु सही सीमा चिन्हों के अभाव में ऐसी विवाद उठानें की सम्भावना हो तो तहसीलदार को ही पेश किए जायेगें तथा उसी के द्वारा निपटाये जायेगें)

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है,कि सीमाओं में विवाद की स्थिति होने पर विवादो का निपटारा न्यायालय हाजा के स्तर से किया जाना है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 26.05.2025 के अवलोकन से हस्तगत प्रकरण में विचाराधीन आराजी की सीमाओं में विवाद होने का स्पष्ट उल्लेख नही है। ऐसी स्थिति में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128(1) के अनुसरण में निर्विवाद मामलो को तहसीलदार द्वारा निपटाया जाना है,अतः हस्तगत प्रकरण में हम प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि के सीमाज्ञान बाबत् तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना–पत्र/आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करना उचित समझते हैं।

–:आदेशः–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः आवेदन–पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 आशिंक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम बालोतरा नपाक्षै तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 1192 क्षेत्रफल 3.0225 हैक्टेयर,खसरा संख्या 1197 क्षेत्रफल 2.7063 हैक्टेयर,खसरा संख्या 1198 क्षेत्रफल 0.3162 हैक्टेयर,खसरा संख्या 1199 क्षेत्रफल 0.0126 हैक्टेयर व खसरा संख्या 1200 क्षेत्रफल 0.2276 हैक्टेयर भूमि की पैमाईश करने हेतु एक राजस्व टीम का गठन कर मुस्तकिल बिन्दु से विवादित आराजी की सीमाओं का चिन्हिकरण करते हुए पैमाईश कर विधिनुसार कार्रवाई करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को आदेशित किया जाता है।

28/01/2026
(अशोककुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 28/01/2026 लिखा जाकर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

28/01/2026
उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा